उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 09.10.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

"उ0प्र0 सरकार" की मंशानुसार पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों में कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु शारदीय नवरात्र के पर्व पर "मिशन शक्ति" के विशेष अभियान फेज-05 के तहत किया जा रहा कार्यक्रमों का आयोजन ।

उ०प्र० शासन की मंशानुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज -05) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 09.10.2024 को जनपद महोबा के समस्त थानों की पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र के गाँवों/स्कूलों/कालेजों में चौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल के आयोजन करने की शुरुआत की गई है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु "शक्ति दीदी" नियमित रुप से ग्राम/स्कूल चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों/स्कूलों/कालेजों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया गया है।

उल्लेखनीय है कि जनपद महोबा के समस्त थानो पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रअन्तर्गत स्कूल-कॉलेज, मंदिर, पार्क, मॉल, आटो/बस स्टैंड व दुर्गा पुजा पंडाल सहित ग्रामीण कस्बों में जाकर महिलाओं/बालिकाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं व शिकायतों के विषय में जानकारी कर समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया गया है। सभी को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज-5 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई है और शासन/पुलिस द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112,108,181,1076,1090, 1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही शासन द्वारा उनके सशक्तिकरण हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाएं जैसे- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उज्जवला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त शीघ्र त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 09.10.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक 09.10.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 09.10.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत क्षेत्राधिकारी चरखारी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा काशी प्रसाद सिंह इण्टर कॉलेज, महोबा में स्कूली छात्राओं को जागरुकता पाठशाला के माध्यम से नारी सुरक्षा, नारी स्वाबलंबन एवं नारी सम्मान हेतु किया गया जागरूक-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेज-5 के तहत आज दिनांक 09.10.2024 को थाना खरेला क्षेत्रअन्तर्गत काशी प्रसाद सिंह इण्टर कॉलेज कस्बा व थाना खरेला जनपद महोबा में महिला सशक्तिकरण हेतु एक जागरुकता कार्यशाला का आयोजन क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ सहित जनपदीय पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।

पुलिस टीम द्वारा इस दौरान मिशन शक्ति फेज-5 तहत आयोजित जागरुकता पाठशाला में नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन एवं नारी सशक्तिकरण हेतु उपस्थित स्कूली छात्राओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया तथा प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओ के संबंध में जानकारी दी गयी साथ ही किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक किया गया व जागरुकता पम्पलेट का वितरण किया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी चरखारी रविकान्त गौड़, प्रभारी थाना खरेला सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया, स्कूल प्राचार्य/शिक्षकगण सहित अन्य पुलिस/स्कूल स्टॉफ मौजूद रहे।

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने जानलेवा हमला करने वाले 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 08.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा गठित की गई उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह मय हमराह का0 कुलदीप सिंह व का0 कामिल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना चरखारी में पंजीकृत मु0अ0स0 237/24 धारा 109/115(2)/118(1)/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्त क्रमशः 1.भूपेन्द्र सिंह पुत्र कृष्णकुमार उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम गुढ़ा थाना चरखारी जनपद महोबा 2.रवि पुत्र मान सिंह उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम गुढ़ा थाना चरखारी जनपद महोबा को कस्बा चरखारी जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह
2.का0 कुलदीप सिंह
3.का0 कामिल

गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1.भूपेन्द्र सिंह पुत्र कृष्णकुमार उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम गुढ़ा थाना चरखारी जनपद महोबा

2.रवि पुत्र मान सिंह उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम गुढ़ा थाना चरखारी जनपद महोबा।

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 08.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा गठित की गई उ0नि0 रामकृष्ण तिवारी मय हमराह हे0का0 महेन्द्र पाल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त सुख सिंह पुत्र विश्वनाथ राजपूत उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम अकठौहा थाना चरखारी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 प्लास्टिक की पिपिया में 05 लीटर देशी शराब नाजायज बरामद करते हुए ग्राम अकठौहा थाना चरखारी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 240/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुख सिंह पुत्र विश्वनाथ राजपूत उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम अकठौहा थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रामकृष्ण तिवारी
2. हे0का0 महेन्द्र पाल

महोबा पुलिस

थाना कबरई की पुलिस टीम ने चोरी की घटना का किया सफल अनावरण, चोरी के वांछित अभियुक्त को चोरी की सामग्री सहित अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्र के रोकथाम/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 08.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री नागेन्द्र कुमार नागर द्वारा गठित की गई उ0नि0 प्रशन्त दीक्षित के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 285/24 धारा 303(2)/317(2) BNS से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त अनिल सिंह पुत्र स्व0 धरम सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम गुगौरा थाना कबरई जनपद महोबा को चन्द्रावल रोड़ थाना कबरई के पास से मय चोरी किये हुए माल के साथ नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्द कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया है। अवैध शस्त्र की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 293/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 प्रशन्त दीक्षित
2. हे0कां0 संदीप कुमार 3. कां0 अजीत कुमार यादव

गिरफ्तार अभियुक्त-

अनिल सिंह पुत्र स्व0 धरम सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम गुगौरा थाना कबरई जनपद महोबा

बरामदगी-

अभि0 के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित माल 3 पै0 60 नं0 देशी गुटका व 20 नं0 बीड़ी पैकेट रामराजा व एक पै0 **SNK** गुटका में तंबाकू व तीन पुड़िया 60 नं0 **S-1** तम्बाकू व 01 पुडिया मोरानो नमकीन कॉर्न फ्लेक्स व 08 पुडिया नमकीन मूंग दाल (हल्दीराम) व 06 पुडिया नमकीन पंजाबी तड़का (हल्दीराम) व 308 रू0 के विभिन्न सिक्के एवं 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्द कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 09.10.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कबरई की संयुक्त पुलिस टीम ने मुकदमें से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 08.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक कुमार दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री नागेन्द्र कुमार नागर द्वारा संयुक्त पुलिस टीम गठित की गई।

अतिरिक्त निरीक्षक श्री गोपाल चन्द्र कनौजिया के नेतृत्व में गठित प्रथम पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0 287/24 धारा 318(4)/341(1)/109/132/351(3)/221/61(2) **BNS** व 4/21 खान एवं खनिज अधि0 से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त मोहित कुमार पुत्र श्री गंगादीन उम्र करीब 26 वर्ष निवासी अटवा मिर्जापुर मझावन थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर को बादा तिराहा कस्बा व थाना कबरई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है।

उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह परिहार के नेतृत्व में गठित हुई द्वितीय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 267/24 धारा 64(1)/74/115(2)/352/351(3)/333 बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर वाछिंत अभियुक्त चन्द्रशेखर पुत्र घसीटा अहिरवार उम्र लगभग 37 वर्ष नि0ग्राम बम्हौरीकाजी थाना कबरई जनपद महोबा को ग्राम सुरहा बरी तिराहे के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है।

उक्त गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

प्रथम पुलिस टीम-

1. निरीक्षक गोपाल चन्द्र कनौजिया
2. कां0 अकुंशपाल

द्वितीय पुलिस टीम-

1. उ0नि0श्रीप्रकाश सिंह परिहार
2. कां0 नरेन्द्र बाबू
3. का0 शुभम कुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 09.10.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 08.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई उ0नि0 सुबाष चन्द्र तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त प्रदीप कबूतरा पुत्र खन्ना कबूतरा उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम बसरिया थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी हाल निवास कबूतरा डेरा सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 प्लास्टिक की पिपिया मे 10 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद करते हुए कबूतरा डेरा ग्राम सौरा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 187/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

प्रदीप कबूतरा पुत्र खन्ना कबूतरा उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम बसरिया थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी हाल निवास कबूतरा डेरा सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 सुबाष चन्द्र तिवारी
2. हे0का0 राजेश कुमार

थाना कबरई की पुलिस टीम ने दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 09.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक कुमार दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री नागेन्द्र कुमार नागर के द्वारा गठित की गई उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा मय हमराह कां0 प्रमोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 202/2024 धारा 137(2)/87/64 BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त प्रमोद कुमार उर्फ बहादुर पुत्र लल्लू अहिरवार उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम बीला दक्षिण थाना कबरई जनपद महोबा को बाँदा तिराहे के पास कस्बा व थाना कबरई से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

प्रमोद कुमार उर्फ बहादुर पुत्र लल्लू अहिरवार उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम बीला दक्षिण थाना कबरई जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा
2. कां0 प्रमोद कुमार

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 09.10.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने चोरी की घटना में संलिप्त 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी के 95 हजार रु. नगद सहित अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस किए गए बरामद-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम तथा चोरी जैसी अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्र के रोकथाम/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 387/24 धारा 305/331(4) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त सुमित ठाकुर पुत्र रामदास उम्र 21 वर्ष निवासी पस्तौर गली थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को छतरपुर रोड़ पुलिस लाइन मोड़ के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में चोरी किये गये नगद 95 हजार रुपये व चोरी की घटना में प्रयुक्त मो0सा0 यूपी 95 एस 9436 को बरामद किया गया है, जिसके कागजात न होने पर अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। मुकदमा उपरोक्त की विवेचनात्मक कार्यवाही से अभियुक्त रोहित वर्मा पुत्र छोटेलाल वर्मा निवासी शुक्रवारी बाजार थाना कोतवाली नगर महोबा का नाम प्रकाश में आया है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्त सुमित ठाकुर उपरोक्त के कब्जे से हुई अवैध शस्त्र की बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 511/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुमित ठाकुर पुत्र रामदास उम्र 21 वर्ष निवासी पस्तौर गली थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस, व चोरी के पैसे 95000/- रुपये व चोरी करने में प्रयुक्त मो0सा0 यूपी 95 एस 9436 ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल चौकी प्रभारी भटीपुरा

2. हे0का0 करम शेर खां

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र एवं कारतूस के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन पर जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 09.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा गठित की गई उ0नि0 विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.मक्खन लाल कुशवाहा पुत्र रामाधीन कुशवाहा उम्र 23 वर्ष 2.प्रमोद कुमार पुत्र घासीराम कुशवाहा उम्र करीब 26 वर्ष निवासीगण ग्राम स्वासामाफ थाना चरखारी जनपद महोबा जिनके कब्जे से 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 241/2024 व मु0अ0स0 242/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1. मक्खन लाल कुशवाहा पुत्र रामाधीन कुशवाहा उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम स्वासामाफ थाना चरखारी महोबा
2. प्रमोद कुमार पुत्र घासीराम कुशवाहा उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम स्वासामाफ थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विनोद कुमार सिंह
2. हे0कां0 अजीत तिवारी
3. हे0कां0 राजाराम पाल
4. कां0 आशीष कुमार
5. कां0 शिवकुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 09.10.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र एवं कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन पर जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 09.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री मनीष कुमार पाण्डेय द्वारा गठित की गई उ0नि0 संजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त अरविन्द यादव पुत्र सूरज यादव उम्र 40 वर्ष निवासी स्योढी थाना पनवाड़ी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम बराना के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 255/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अरविन्द यादव पुत्र सूरज यादव उम्र 40 वर्ष निवासी स्योढी थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 संजय सिंह
2. का0 गौरव सबिता
3. का0 राहुल सिंह

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 09.10.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 07 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंशल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध जुआ/सट्टा पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 09.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री शिवपाल सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 विकासधर दुबे व उ0नि0 रामआसरे सरोज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 07 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.धर्मेन्द्र राजपूत पुत्र भान सिंह उम्र 34 वर्ष 2.महेन्द्र अहिरवार पुत्र मोतीलाल उम्र 25 वर्ष 3. छोटेलाल रैकवार पुत्र स्व0 भज्जू उम्र 35 वर्ष 4.मनोहर अहिरवार पुत्र मुरलीधर उम्र 22 वर्ष 5.मनीष अहिरवार पुत्र हरगोविद्र उम्र 19 वर्ष 6.जगदीश पुत्र बासुदेव रैकवार उम्र 41 वर्ष 7.मुकेश रैकवार पुत्र भान रैकवार उम्र 30 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम बिलखी थाना श्रीनगर जनपद महोबा को ग्राम बिलखी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिनकी जामातलाशी से 5950/- रूपये तथा मालफड 10050/- रूपये कुल 16000/- रुपये व 52 अदद ताश पत्ते बरामद हुये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना श्रीनगर में मु0अ0सं0 214/24 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 विकासधर दुबे
2. उ0नि0 रामआसरे सरोज
3. का0 हरिओम यादव
4. का0 विकास सरोज

पुलिस ने खोये हुए बच्चे को परिजनों से मिलाया, परिवार में लौटी खुशियां...।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस टीम द्वारा विभिन्न सराहनीय कार्य किये जाते हैं, जिससे स्थानीय जनता में पुलिस के प्रति विश्वास उत्पन्न हो सके। इसी क्रम में आज दिनांक 09.10.2024 को थाना कोतवाली नगर महोबा में तैनात म0का0 विभा सिंह की ड्यूटी थानाक्षेत्र अन्तर्गत माँ चण्डिका देवी मन्दिर में लगी थी कि इसी दौरान मन्दिर परिसर में एक बालक रोता बिलखता हुआ घूम रहा था। इस पर महिला आरक्षी ने उस बालक के पास जाकर उससे नाम पता पूछा जिस पर बालक ने अपना नाम मयंक बताया जिसकी उम्र करीब 04 वर्ष प्रतीत हो रही थी, बालक अपने माता-पिता एवं परिजनों का नाम एवं पता बता पाने में असमर्थ था। इस सम्बन्ध में महिला आरक्षी द्वारा बालक को अपनी संरक्षा में लिया गया। इसके सम्बन्ध में मन्दिर परिसर में लगे लाउड स्पीकर के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया एवं मन्दिर परिसर में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं से भी जानकारी की गयी। इस अथक प्रचार-प्रसार एवं प्रयास से बालक के पिता श्री बल्लू कुशवाहा नि0 शेखुनगर थाना कोतवाली नगर महोबा थाने में आये जिन्होंने अपने पुत्र मयंक उम्र 04 वर्ष की पहचान किया, इस पर बालक के पिता को हिदायत दी गई कि बच्चे को कहीं भी भीड़-भाड़ वाली जगह में लेकर जायें तो उसे अकेला न छोडे, बालक को नियमानुसार उसके पिता के सुपुर्द किया गया है, जनपदीय पुलिस के इस सराहनीय कार्य के लिए स्थानीय लोगों ने महिला आरक्षी सहित थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस टीम के प्रति आभार प्रकट करते हुए प्रशंसा की है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 09.10.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत जनपद के थानों की शक्ति दीदी टीम एवं महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा दुर्गा पण्डालो में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे "मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत आज दिनांक 09.10.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में जनपद के सभी थानों पर नियुक्त शक्ति दीदी टीम एवं महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बा, चौराहों, दुर्गा पण्डालों, धार्मिक स्थलों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर शासन व पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण स्वावलंबन हेतु चलाई जा रही विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय पोषण योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, पी०एम० स्वानिधि योजना, पी०एम० सम्मान निधि योजना, वन स्टाप सेन्टर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, प्रधानमंत्री फ्री सिलाई योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, कन्या सुमंगला योजना, महिला ई-हाट योजना। तथा पुलिस विभाग से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों वीमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112 इमरजेन्सी कॉल/पैनिक बटन-मोबाइल पर डेमो, सी०एम० हेल्प लाइन 1076, स्वास्थ्य सेवा हेल्प लाइन-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्प लाईन-181, साईबर क्राईम हेल्प लाईन 1930 आदि के बारे मे पंपलेट बांटकर जागरूक किया गया।